न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 28 / 2019
दायर दिनांक : 08 / 08 / 2019
निर्णय दिनांक : 03 / 02 / 2025

उनवान

1. मु. मांगीबाई पत्नि रूपलाल जाट निवासी गुंदली तहसील भूपालसागर
2. शंकरलाल पिता रूपलाल जाट निवासी गुंदली तहसील भूपालसागर
3. प्रेमलाल पिता रूपलाल जाट निवासी गुंदली तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. भैरूलाल पिता श्री चंपालाल जाट निवासी गुंदली तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री देवीलाल जाट, अधिवक्ता अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि उक्त उनवान का एक वादपत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है जो ठोस आधारो पर होने से अवश्य स्वीकार होगा मगर वादपत्र के निस्तारण मे समय लगने की संभावना है। यह कि ग्राम गुंदली तहसील भूपालसागर में आराजी न0 5 15 16 कुल किता 3 कुल रकबा 1.08 है0 स्थित है जो हम प्रार्थीगणों के खातेदारी की होकर कब्जे काश्त में है। यह कि उक्त आराजियात के पास विपक्षी की आ0न0 4 व 17 स्थित है जिसका पुरानी पैमाईश में आ0न0 491 / 1 रकबा 5 विधा था व कब्जा भी विपक्षी को पांच बिधा पर ही रखने का अधिकार है मगर पैमाईश के दरम्यान विपक्षी का रकबा 1.08 के बजाय 1.30 है0 दर्ज कर दिया जो गलत होकर दुरूस्ती योग्य है। यह कि विपक्षी गलत इंद्राज का फायदा उठा हम प्रार्थीगणों की खातेदारी की आराजियात पर नाजायज कब्जा कर दस्तदाजी करना चाहता है जिससे विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है अन्यथा हम प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजियात से बेदखल हो [illegible] प्रार्थीगणों को अपार क्षति होगी। यह कि यदी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो विपक्षी को [illegible] नुकसान नही है व जारी न किए जाने पर हम प्रार्थीगणों को अपार क्षति है। प्रार्थनापत्र की [illegible] में शपथपत्र एवं पत्र की अतिरिक्त प्रति भी साथ है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगणों का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमा प्रार्थीगणों के पक्ष में व विपक्षी के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्रदान कराई जावे कि विपक्षी स्वयं

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.10 11:39:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

परिवार के सदस्य नौकर एजेंट कोई भी ग्राम गुंदली तहसील भूपालसागर की आराजी नं0 3,15,16 पर प्रार्थीगणों के कब्जे काशत में दंखलदाजी न करे व उक्त आराजियात से प्रार्थीगणों को बेदखल नहीं करे व नाजायज कब्जे का प्रयास नही करे व न ही किसी से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री देवीलाल जाट ने अधिकार पत्र पेश किया। वकील अप्रार्थी द्वारा दिनांक 10.03.2022 को बहस सुनी जाने का निवदेन करने पर बहस वकील उभयपक्ष सुनी जाकर प्रार्थनापत्र वर्णित आराजियात पर राजसव रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बाबत स्थगन आगामी पेशी दिनांक तक के जारी किया गया। दिनांक 28.01.2025 को वकील उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की ओर से अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं वकील उपभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 स्वीकार किया जाता है, मूल वाद के निर्णय तक राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। निर्णय आज दिनांक 03.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.10 11:39:55 IST
Reason: SelfAttested